

**न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S**

**मुकदमा नम्बर : 298/21 (वाद)**

**GCMS NO. : 2021/541**

**उनवान**

1. श्री आला पिता भग्गा जी रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री प्रताप पिता भग्गा जी रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

**बनाम**

1. श्री हीरा पिता गमेरा जी रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री प्रथा पिता गमेरा जी रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री लोगर पिता भारतीया रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती हुडी पुत्री भारतीया रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
5. श्रीमती रामी पुत्री भारतीया रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
6. श्रीमती भगवानी पुत्री भारतीया रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कानोड जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादी

उपस्थित-1. श्री लक्ष्मणगिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।

2. सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता प्रतिवादी।

**वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**-::निर्णय::-**

**दिनांक : 30.09.2022**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बंटवाडा किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-



न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्रं.सं. 298/21 अनवान आला बनाम हीरा निर्णय दिनांक 30.09.2022

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	श्री आला पुत्र भगा 1/2 प्रताप पुत्र भगा 1/2 रावत सा. माताजी खातेदार	997 मी.	0.70	बीड. प्रथम	1.40
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.70</b>		<b>1.40</b>
2.	श्री प्रथा पुत्र गमेरा 1/3, हीरा पुत्र गमेरा 1/3, लोगर, हुडी, रामी, भगवानी पिता भारतीया 1/3 हि.ब. रावत सा. माताजी खातेदार	997/1	0.47	बीड. प्रथम	0.94
		998	0.13	बीड. प्रथम	0.26
		997/3	0.10	बीड. प्रथम	0.20
	<b>योग</b>	<b>किता 3</b>	<b>0.70</b>		<b>1.40</b>
3.	श्री आला पुत्र भगा 1/4, प्रताप पुत्र भगा 1/4, प्रथा पुत्र गमेरा 1/6, हीरा पुत्र गमेरा 1/6, लोगर, हुडी, रामी, भगवानी पिता भारतीया 1/6 रावत सा. माताजी खातेदार	997/2	0.05	बीड. प्रथम	0.10
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.05</b>		<b>0.10</b>

पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 298/21 (वाद)

GCMS NO. : 2021/541

उनवान

1. श्री आला पिता भग्गा जी रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री प्रताप पिता भग्गा जी रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

### बनाम

1. श्री हीरा पिता गमेरा जी रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री प्रथा पिता गमेरा जी रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री लोगर पिता भारतीया रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती हुडी पुत्री भारतीया रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
5. श्रीमती रामी पुत्री भारतीया रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
6. श्रीमती भगवानी पुत्री भारतीया रावत निवासी बोरतलाई तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कानोड जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादी

### वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्ष की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.09.2022 को रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा बोरतलाई पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	श्री आला पुत्र भगा 1/2 प्रताप पुत्र भगा 1/2 रावत सा. माताजी खातेदार	997 मी.	0.70	बीड. प्रथम	1.40
योग		किता 1	0.70		1.40
2.	श्री प्रथा पुत्र गमेरा 1/3, हीरा पुत्र गमेरा 1/3, लोगर, हुडी, रामी, भगवानी पिता भारतीया 1/3 हि.व. रावत सा. माताजी खातेदार	997/1	0.47	बीड. प्रथम	0.94
		998	0.13	बीड. प्रथम	0.26
		997/3	0.10	बीड. प्रथम	0.20
योग		किता 3	0.70		1.40
3.	श्री आला पुत्र भगा 1/4, प्रताप पुत्र भगा 1/4, प्रथा पुत्र गमेरा 1/6, लोगर, हीरा पुत्र गमेरा 1/6, हुडी रामी भगवानी पिता भारतीया 1/6 रावत सा. माताजी खातेदार	997/2	0.05	बीड. प्रथम	0.10

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्रं.सं. 298/21 अनवान आला बनाम हीरा निर्णय दिनांक 30.09.2022

	योग	किता 1	0.05	0.10
नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।				